भारतीय रैडक्रास समिति
हरियाणा राज्य शाखा

भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष, भारतीय रैड क्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चंडीगढ़ की अध्यक्षता मे दिनांक 30-08-2019 को प्रातः 11:00 बजे हरियाणा राज भवन में हुई थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	श्री सत्यदेव नारायण आर्य, माननीय राज्यपाल हरियाणा।	अध्यक्ष
2.	श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	श्री विजय सिह दहिया, भा0प्र0से0, माननीय राज्यपाल के सचिव।	सदस्य
4.	डा0 मुकेष अग्रवाल, उपाध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य
5.	श्री ए. श्रीनिवास, भा0प्र0से0, महानिदेषक, उच्च षिक्षा हरियाणा।	सदस्य
6.	श्री अषोक कुमार शर्मा, भा0प्र0से0, महानिदेषक, माध्यमिक षिक्षा हरियाणा।	सदस्य
7.	श्री महेष्वर शर्मा, भा0प्र0से0, निदेषक, प्राथमिक षिक्षा हरियाणा।	सदस्य
8.	श्रीमति रितू, भा0प्र0से0, महानिदेषक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।	सदस्य
9.	श्री आर0एस0वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा रोहतक।	सदस्य
10.	श्री अंषज सिह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा सोनीपत।	सदस्य
11.	श्री सुजान सिह यादव, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा भिवानी।	सदस्य
12.	श्री मुकुल कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा यमुनानगर।	सदस्य
13.	श्री धीरेन्द्र खरगटा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा फतेहबाद।	सदस्य
14.	श्री पार्थ गुप्ता, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधि।	सदस्य
15.	श्रीमति मनदीप कौर, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा सिरसा के प्रतिनिधि।	सदस्य
16.	सुश्री प्रीति, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, पानीपत। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा पानीपत के प्रतिनिधि।	सदस्य
17.	श्री अनिष यादव, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा करनाल के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	श्री सुरेन्द्र सिह, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, पलवल। उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा पलवल के प्रतिनिधि।	सदस्य
19.	श्री जगनिवास, एच0सी0एस0, अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा झज्जर के प्रतिनिधि।	सदस्य
20.	श्री ए0एस0मान, एच0सी0एस0, अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार। उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा, हिसार के प्रतिनिधि।	सदस्य
21.	सुश्री रिचा राठी ,एच0सी0एस0 उप–मण्डल अधिकारी (ना0) कालका। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा पंचकूला के प्रतिनिधि ।	सदस्य
22.	श्री मनदीप कुमार, एच0सी0एस0 उप–मडंल अधिकारी (ना0) सफीदों। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा जीन्द के प्रतिनिधि	सदस्य
23.	श्री कुषाल कटारिया, एच0सी0एस0 उप–मडंल अधिकारी (ना0) कोसली। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा रिवाड़ी के प्रतिनिधि।	सदस्य

कृ0पृ0उ0

24.	श्री सुरेष रवीष, एच0सी0एस0 नगराधीष कैथल उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा कैथल के प्रतिनिधि।	सदस्य
25.	डा0 जितेन्द्र सिह. एच0सी0एस0, नगराधीष चरखी दादरी। उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा चरखी दादरी के प्रतिनिधि।	सदस्य
26.	डा0 निर्मल सिधू, उप–निदेषक, कार्यालय महानिदेषक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा । महानिदेषक, स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के प्रतिनिधि।	सदस्य
27.	श्री डी0आर0 शर्मा, महासचिव, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य सचिव
28.	श्रीमति सविता अग्रवाल, संयुक्त सचिव, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य
29.	श्रीमति सुषमा गुप्ता, मकान न. 632, सैक्टर–21 ए, फरीदाबाद।	सदस्य
30.	श्री सुभाष गुप्ता, मकान न. 1194/24, जगदीष कलोनी, रोहतक।	सदस्य
31.	श्री अष्वनी मित्तल, सी0ए0, मकान न. 311, सैक्टर 6 पंचकूला।	सदस्य

श्री डी0आर0षर्मा, महासचिव भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़ में बैठक के सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा रैडक्रास एवं सैटजॉन की गतिविधियों पर आधारित वृतचित्र प्रस्तुत किया गया। उन्होने बैठक में विषेष रुप से आमन्त्रित श्रीमति लतिका शर्मा, विधायिका कालका एवं चेयरपर्सन रैडक्रास अस्पताल कल्याण विभाग का भी स्वागत किया तथा बैठक की कार्यसूची को प्रस्तुत किया। बैठक की कार्यवाही निम्नप्रकार से हैः–

मद सं0	**प्रस्ताव**	समाधान
1	**<u>20 जनवरी 2018 को होने वाले अंतिम बैठक की कार्यवृत (मिनट्स) की पुष्टिकरण।</u>** 20 जनवरी 2018 को आयोजित भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) सभी सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 796/MC/H/2018/9258-9282 दिनांक 09.2.2018 के माध्यम से परिचालित किये गये थे। परिशिष्ट - क पर सलंग्न है । ...पुष्टि हेतु	सदन ने सर्वसम्मति से बैठक की कार्यवृत की पुष्टि की।
2	**<u>20 जनवरी 2018 को भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध बैठक पर की गई कार्यवाही बारे।</u>** **2(9). Grant-in-aid to the District Rehabilitation Centres for purchase of Raw Material.** The Hon'ble Governor has desired to know the reason for not releasing grant-in-aid by the Govt. of Haryana to the Rehabilitation Centres for purchase of raw material. In this regard, Sh. D.S. Deshi, IAS, Chief Secretary, Haryana assured that a meeting will be convened very soon with the Principal Secretary, Social Justice & Empowerment, Govt. of Haryana and General Secretary, Indian Red Cross Society, Haryana State Branch to take appropriate steps for regularizing the Grant-in-aid from State Govt. as well as from Govt. of India for the Rehabilitation Centres. **(Action by Chief Secretary, Government of Haryana)**	इस बिन्दू के विस्तृत विवरण के लिए कृप्या मुख्य एजैण्डे के बिन्दू संख्या 9 का अवलोकन करें।

कृ0पृ0उ0

<table>
<tr><td></td><td><u>Action Taken on proposal</u>
The meeting was held on 24-01-2018 by Sh. D.S. Deshi, IAS, Chief Secretary, Haryana with Principal Secretary, Social Justice & Empowerment, Govt. of Haryana. In this regard this office has requested to Social Justice Department on 22-10-2018 in the multidisciplinary meeting. A request leter was also written t review reimbursement of cost of Artificial Limbs/Aids and appliances. It was also requested that if reimbursement is not possible the one time yearly grant for Rs. 50 lac may be granted for smooth functioning of these centers as well as for the help of the Divyangs. In this regad a reminder letter No. 5540 dated 12-12-2018 has also been written. No response has been received so far.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2(10) Expansion of the T.B. Project

The proposal to extend the T.B project in District Red Cross Branch Yamuna Nagar was approved by the House unanimously.

It was also approved unanimously that this project should be started in the remaining District Red Cross Branches also for which appropriate financial help will be provided by Haryana State Red Cross Branch.

The Deputy Commissioners assured the House to take up the matter on priority basis.
(Action by Deputy Commissioners-cum-Presidents, District Red Cross Branches in Haryana)

<u>Action Taken on proposal</u>

In this regard the minutes of the Managing Committee Meeting held on 20th January, 2018 were sent to all District Red Cross Branches, in Haryana vide this office letter No. 796/MC/H/2018/9258-9282 dated 09-02-2018 for information and compliance and subsequently letter No.. 9375-9396 dated 15-02-2018 and reminder vide letter No. 5870-5891 date 15-2-2018 for taking action on the resolution. No response has been received so far.</td><td>महासचिव, हरियाणा रैडक्रास ने सदन को अवगत कराया कि टी0बी0परियोजना का विस्तार कर दिया गया है। अब टी0बी0परियोजना पंचकूला, पलवल,फरीदाबाद और गुरुग्राम में चलाई जा रही है। श्री अंषज सिह, भा0प्र0से0, उपायुक्त सोनीपत ने सदन को अवगत कराया कि वे टी0बी0 प्रोजैक्ट को स्वास्थय विभाग हरियाणा के साथ मिलकर चलाएगें जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। सदन में विचार विमर्ष के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नप्रस्ताव पारित किएः–
1. टी0बी0 परियोजना का विस्तार सभी जिलों में स्वास्थय विभाग हरियाणा के साथ मिलकर किया जाए।
2. स्वास्थय विभाग द्वारा चलाए जा रहे टी0बी0 परियोजना में रैडक्रास के स्वयंसेवकों को शामिल किया जाए ताकि टी0बी0 से ग्रस्त मरीज समय पर दवाई लेकर अपना पूरा ईलाज करवा सकें।
सदन ने सर्वसम्मति से इस परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने बारे अपनी सहमति प्रकट की तथा तीन माह उपरान्त इसकी समीक्षा की जाएगी</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>3</td>
<td><u>भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की वर्ष 2017–2018 व वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट।</u>

वर्ष 2017–2018 एवं 2018–2019 की भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा और उसके जिला रैड क्रॉस शाखाओं की वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट–ग पर संलग्न है।

...सूचना हेतु</td>
<td>सदन ने नोट किया एवं गतिविधियों की सराहना की।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><u>उप–समितियों के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।</u>

भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की विभिन्न उप–समितियों की बैठक जो वर्ष 2017–2018 तथा 2018– 2019 के दौरान आयोजित की गई थी। उसके कार्यवृत्त नीचे दिए गए परिशिष्ट अनुसार दिए गए हैं: –

<table>
<tr><td>क्र0 न0</td><td>बैठक के नाम</td><td>परिशिष्ट</td></tr>
<tr><td>1</td><td>वर्ष 2017-2018 की जूनीयर रैड क्रास उप–समिति की बैठक दिनांक 5.10. 2018 का कार्यवृत्त</td><td>परिशिष्ट - घ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 की आपदा प्रबन्धन राहत तैयारी उप –समिति की बैठक दिनांक 17 मई 2019 का कार्यवृत्त</td><td>परिशिष्ट-ङ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वर्ष 2017–2018 और 2018–2019 की आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान उप–समिति की बैठक दिनांक 17 मई 2019 का कार्यवृत्त</td><td>परिशिष्ट- च</td></tr>
<tr><td>4</td><td>वर्ष 2017–2018 और 2018–2019 पुरस्कार उप–समिति की बैठक दिनांक 12.02.2019 और 10.07.2019 का कार्यवृत्त</td><td>परिशिष्ट. छ और ‘छ-1’</td></tr>
<tr><td>5</td><td>वर्ष 2017–2018 यूथ रैड क्रास उप–समिति की बैठक दिनांक 31.08.2018 का कार्यवृत्त</td><td>परिशिष्ट. ज</td></tr>
<tr><td>6</td><td>वर्ष 2017–2018 और 2018–2019 की वित्तिये समिति की बैठक दिनांक 27.4. 2018 और 21.5.2019 के कार्यवृत्त</td><td>परिशिष्ट. झ और ‘झ-1’</td></tr>
</table>

...पुष्टि हेतु</td>
<td>सदन ने सर्वसम्मति से उप–समितियों के कार्यवृत की पुष्टि की।</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><u>हरियाणा के निजी विश्वविद्यालयों में यूथ रेड क्रॉस विंग की स्थापना</u>

वर्तमान में सरकारी और केन्द्रीय विष्वविद्यालयों में और सभी सरकारी महाविद्यालयों में यूथ रैडक्रास की यूनिटें हैं, परन्तू हरियाणा राज्य में निजी विष्वविद्यालयों में यूथ रैडक्रास ईकाईयों की स्थापना अभी तक नहीं हुई हैं।

वर्तमान में हरियाणा राज्य में लगभग 26 निजी विष्वविद्यालय है, जिनमें यूथ रैडक्रास ईकाई नहीं है। यूथ</td>
<td>श्री विजय सिह दहिया, भा0प्र0से0 माननीय राज्यपाल के सचिव ने यह जानकारी ली कि कितने निजी विष्वविद्यालयों में यूथ रैडक्रास की स्थापना हो चुकी है तथा कितने निजी विष्वविद्यालयों ने अभी तक यूथ</td>
</tr>
</table>

कृ0पृ0उ0

	रैडक्रास उप–समिति की बैठक 31.08.2018 के प्रस्ताव न0 14(सी) के अर्न्तगत पास किया गया था कि सभी निजी विष्वविद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर सत्र 2018–19 से यूथ रैडक्रास यूनिट स्थापित किया जाए। तदानुसार उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा कार्यालय के पत्र कमांक 10/3–2017 NCC(2) दिनांक 18-04-2019 से निर्देष जारी किए जा चुके है। ....सूचना हेतू	रैडक्रास की स्थापना नहीं की। विस्तृत विचार विमर्ष के बाद यह प्रस्तावित किया गया कि उच्चतर षिक्षा विभाग हरियाणा एवं हरियाणा रैडक्रास द्वारा 15 दिनों के अन्दर माननीय राज्यपाल के सज्ञांन में लाया जाएगा कि हरियाणा प्रदेष के कितने निजी विष्वविद्यालयों ने यूथ रैडक्रास की स्थापना कर ली है तथा जिन निजी विष्वविद्यालयों ने यूथ रैडक्रास की स्थापना नहीं की वह जल्द ही इसकी स्थापना करें और अब तक स्थापना न करने का कारण से भी अवगत कराएंगे। श्री ए0 श्री निवास, भा0प्र0से0 महानिदेषक, उच्चतर षिक्षा विभाग ने सदन को आष्वस्त किया कि उच्चतर षिक्षा विभाग इस सन्दर्भ में सभी निजी विष्वविद्यालयों को पत्र जारी कर प्रगति रिपोर्ट लेगें तथा इस रिपोर्ट की एक प्रति हरियाणा राज्य रैडक्रास के कार्यालय में भेजा जाएगा ताकि माननीय राज्यपाल हरियाणा को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।
6	**<u>जिला रैड क्रॉस शाखाओं की वर्ष 2017–18 की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में।</u>** माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष, भारतीय रैड क्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा के दिनांक 07–09–2017 के आदेशानुसार श्री आर.सी. शर्मा, पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं प्रचार अधिकारी और श्री आर.के. जसवाल, लेखा अधिकारी ने इस कार्यालय की सभी जिला रैड क्रास शाखाओं के खातों का आंतरिक लेखा परिक्षण किया गया। लेखा परिक्षण रिपोर्ट देखने के बाद जिला रैड क्रास शाखाओं के लेखा कामकाज में कुछ आपत्तियों का पता चला है। लेखा परिक्षण की रिपोर्ट सभी उपायुक्त–एवम–प्रधान, जिला रैड क्रॉस शाखाओ को अपने स्तर पर सभी लेखा आपत्तियों / प्रश्नों को तुरंत प्रभाव से दूर/समाधन के लिए भेज दी गई है। ....सूचना हेतू	श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग ने सुझाव दिया कि वर्तमान में हरियाणा रैडक्रास द्वारा नियुक्त आडिटर जिला शाखाओं का आन्तरिक आडिट करते समय उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे जो कि लेखा परीक्षक विभाग द्वारा रखे जाते है, ताकि जिला रैडक्रास शाखाए उन्ही पहलूओं को मध्यनजर रखते हुए अपने लेखा जोखा बनाए रखें। उन्होने यह भी सुझाव दिया कि आडिट करने के पश्चात आडिट टीम सभी बिन्दूओं पर किए गए आडिट बारे सम्बन्धित जिले के उपायुक्त एवं प्रधान के समक्ष रखेगें और अपने विचार देगी। श्री डी0आर0षर्मा, महासचिव हरियाणा रैडक्रास ने बताया कि माननीय राज्यपाल के आदेषानुसार हरियाणा रैडक्रास के पूर्व वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं वर्तमान लेखाधिकारी द्वारा सभी जिला रैडक्रास शाखाओं के खातों का लेखा परीक्षण करके रिपोर्ट में आई आपत्तियों का समाधान करने के लिए लेखा परीक्षण रिपोर्ट को सभी उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखाओं को भेज दिया गया है। श्री विजय सिह दहिया, भा0प्र0से0 माननीय राज्यपाल के सचिव ने कहा कि सभी जिला उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखा लेखा परीक्षण रिपोर्ट में अंकित आपत्तियों का निदान करके तीन माह

कृ0पृ0उ0

		के अन्दर हरियाणा राज्य रैडक्रास को रिपोर्ट भेजना सुनिष्चित करें, ताकि माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। सदन ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रकट की तथा उपायुक्तों नें तीन माह के भीतर रिपोर्ट भेजने बारे सहमति प्रदान की, ताकि तीन माह बाद इसकी समीक्षा की जा सके।
7	**हरियाणा में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में जूनियर रैड क्रास की गतिविधियों को शुरू करने बारें ।** वर्तमान में हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में जूनियर रैडक्रास की ईकाईयां हैं, परन्तू हरियाणा राज्य में निजी विद्यालयों में जूनियर रैडक्रास ईकाईयों की स्थापना अभी तक नहीं हुई है, जिससे सभी छात्र रैडक्रास द्वारा दिए जा रहे प्रषिक्षण एवं लाभों जैसे प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड बॉक्स, पीने के पानी के कैम्पर और जिला/राज्य/अर्न्तराज्य जूनियर रैडक्रास प्रषिक्षण शिविरों की भागीदारी से वंचित रह जाते हैं। 8 अक्तूबर, 2018 को निदेषक, माध्यमिक षिक्षा, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई जूनियर रैडक्रास की उप–समिति की बैठक में यह मामला एजेंडा नम्बर 9 के तहत यह प्रस्ताव रखा गया कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी जूनियर रैडक्रास की गतिविधियां चलाई जायें। विस्तृत विचार–विमर्ष के बाद सदन द्वारा यह पास किया गया कि इस मामले को भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा की अगली प्रबंध समिति की बैठक में विचार हेतू रखा जाए। अतः यह प्रस्ताव प्रबंध समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतू रखा गया है। ....अनुमोदन हेतू प्रेषित है।	सदन ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
8	**भारतीय रैड क्रास सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा की वार्षिक लेखा परीक्षा खाते की वर्ष 2017–2018 और 2018-2019 की रिर्पोट ।** वर्ष 2017-2018 एवम् 2018-2019 की भारतीय रैड क्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा की आय, व्यय और बैलेंस रिर्पोट निम्न प्रकार है। वर्ष 2017-2018 की भारतीय रैड क्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा की कुल वास्तविक आय 11,85,15,912/60 है। कुल वास्तविक व्यय 10,61,72,384/- रुपये है तथा वास्तविक बचत 1,23,43,528/60 रुपये है । वर्ष 2018-2019 की भारतीय रैड क्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा की कुल वास्तविक आय 6,37,78,755/10 है। कुल वास्तविक व्यय 5,24,83,177/31 रुपये है तथा वास्तविक बचत 1,12,95,577/79 रुपये है । जोकि परिशिष्ट 'ञ और ट' पर संलग्न है । ....सूचना हेतू	सदन ने नोट किया एवं सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

9

जिला पुनर्वास केंद्रों को कच्चे माल की खरीद के लिए सहायता अनुदान देने बारें।

वर्तमान में 11 पुनर्वास केंद्र यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नारनौल, रोहतक, हिसार, जींद, सिरसा और कैथल में चलाए जा रहे हैं, जिसमें कृत्रिम अंग बनाने की कार्यशालाएं हैं।

पहले जिला शाखाओं द्वारा खर्च की गई राशि को निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान के रुप मे दिया जा रहा था। निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की प्रोस्थेटिक एड्स और अप्लायंसेज योजना के तहत अप्रैल, 2011 से कृत्रिम सहायक उपकरण के लिए जिला शाखाओं को अनुदान मे दी जाने वाली राशि को बंद कर दी गई ।

इन पुनर्वास केंद्रों को सक्रिय रुप से चलाने के लिये हरियाणा राज्य शाखा ने वर्ष 2017–2018 मे 13 लाख और वर्ष 2018–2019 मे भी 13 लाख रुपये अनुदान के रुप मे जिला रैड क्रास शाखाओं को दिये। वर्ष 2017–18 के दौरान **2046** और 2018–19 में 2568 शारीरिक रूप से विकलांगों को देने के लिये कृत्रिम अंगों का निर्माण किया गया है । इसी प्रकार इस वर्ष भी इन कार्यशालाओ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 13 लाख रुपये का कच्चे माल देने का प्रवाधन है । जिसे जिलों की जुरूरत अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

सूचना हेतु

श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के प्रतिनिधि के तौर पर सदन को अवगत कराया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा पुर्नवास केन्द्रों के लिए 70 लाख रुपए वार्षिक अनुदान का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि रैडक्रास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा के पास अनुदान के लिए मांग भेजे। श्री विजय सिह दहिया, भा0प्र0से0 माननीय राज्यपाल के सचिव ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा से अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त हरियाणा रैडक्रास द्वारा माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा को अवगत कराया जाए।

सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

10

जिला रैड क्रॉस शाखाओं की वर्ष 2017-18 और 2018-2019 की वित्तीय स्थिति बारे ।

जिला रैड क्रॉस शाखाओं की वर्ष 2017-18 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	जिले का नाम	आय	व्यय	लाभ/हानि	
1.	कुरुक्षेत्र	1,58,22,603.00	1,26,02,214.00	(+)	32,20,389.00
2.	जीन्द	74,68,547.00	83,11,829.70	(-)	8,43,282.70
3.	हिसार	1,35,54,490.93	2,24,83,858.52	(-)	89,29,367.59
4.	रोहतक	76,21,161.00	1,14,92,187.44	(-)	38,71,026.44
5.	रेवाड़ी	1,51,59,737.00	1,44,67,265.00	(+)	6,92,472.00
6.	पलवल	97,33,045.98	1,02,86,877.18	(-)	5,53,831.20
7.	पंचकुला	1,10,33,084.00	1,16,93,926.99	(-)	6,60,842.99
8.	नारनौल	1,59,37,144.00	1,34,10,396.64	(+)	25,26,747.36
9.	गुरुग्राम	1,34,41,778.00	1,41,76,806.29	(-)	7,35,028.29
10.	झज्जर	88,40,618.00	1,01,02,727.35	(-)	12,62,109.35
11.	अंबाला	77,30,595.30	89,66,440.09	(-)	12,35,844.79
12.	चरखी दादरी	27,59,962.00	10,20,435.40	(+)	17,39,526.60
13.	कैथल	91,63,229.00	73,08,372.67	(+)	18,54,856.33
14.	करनाल	67,71,472.00	92,61,067.88	(-)	24,89,595.88
15.	पानीपत	1,54,95,261.00	1,73,35,277.00	(-)	18,40,016.00
16.	सोनीपत	1,41,24,125.00	1,36,50,524.00	(+)	4,73,601.00
17.	फरीदाबाद	1,49,64,528.33	,74,74,234.98	(-)	25,09,706.65
18.	फतेहाबाद	1,25.57,171.00	1,07,38,570.00	(+)	18,18601.00
19.	सिरसा	94,68250.00	92,21,873.00	(+)	2,46,378.00
20.	भिवानी	2,03,75,837.00	1,82,39,238.05	(+)	21,36,589.95
21.	नूंह	40,01,652.00	47,75,672.00	(-)	7,74,020.00
22.	यमुनानगर	77,03,931.00	92,83,211.00	(-)	15,79,280.00

श्री विजय सिह दहिया, भा0प्र0से0 माननीय राज्यपाल के सचिव ने जिला रैडक्रास शाखाओं की घाटे की वित्तिय स्थिति के बारे में पूछने पर महासचिव हरियाणा रैडक्रास ने अवगत कराया कि कई जिला रैडक्रास शाखाएं परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को रैडक्रास से वेतन दे दिया जाता है जबकि वेतन का भुगतान परियोजना के लिए मिलने वाले अनुदान राषि से करना होता है। परियोजनाओं के लिए अनुदान राषि के लिए या तो जिला रैडक्रास शाखाओं द्वारा आवेदन नहीं दिया जाता या आवेदन में त्रुटियां होने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है। सदन में विस्तृत विचार विमर्ष के बाद निम्नप्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गएः–

1. घाटे में चल रही जिला रैडक्रास शाखाओं के कारणों का विस्त्त अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी

जिला रैड क्रॉस शाखाओं की वर्ष 2018-19 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार है :

कम संख्या	जिले का नाम	आय	व्यय	लाभ/हानि	
1.	कुरुक्षेत्र	1,26,91,409/-	1,51,04,945/	(-)	24,13,536/-
2.	जीन्द	72,29,865/-	72,31,452/80	(-)	1,587/-
3.	थ्हसार	9,88,4045/-	1,99,71,551/68	(-)	1,00,87,506/68
4.	श्रोहतक	64,24,327/55	1,20,12,133/-	(-)	55,87,806/14
5.	रेवाड़ी	95,77,152/-	1,72,26,468	(-)	76,49,316/-
6.	पलवल	11896410/-	1,06,29,619	(+)	12,66,791/-
7.	पंचकुला	1,59,17,184/36	1,93,41,932/86	(-)	34,24,748/50
8.	नारनौल	1,70,43,248/-	1,43,00,978/05	(+)	27,42,269/95
9.	गुरुग्राम	1,13,59,076/-	93,21,797/-	(+)	20,37,279/-
10.	झज्जर	52,27,438/-	81,94,848/-	(-)	29,67,410/-
11.	अंबाला	59,22,960/02	61,30,398/-	(-)	2,07,437/98
12.	चरखी दादरी	20,63,441/-	18,76,157/80	(+)	1,87,283/20
13.	कैथल	85,15,624/19	68,03,568/-	(+)	17,12,056/19
14.	क्रनाल	59,49,831/-	91,74,992/84	(-)	32,25,154/94
15.	पानीपत	176,32,740/-	1,72,96,414/29	(+)	3,36,325/71
16.	सोनीपत	61,47,358/-	80,64,243/-	(-)	19,16,885/-
17.	फरीदाबाद	2,20,10,316/95	1,38,89,969/-	(+)	81,20,347/95
18.	फतेहाबाद	1,07,80,000/-	1,13,15,420/-	(-)	5,35,420/-
19.	थ्सरसा	1,30,80,178/-	13,672,208/-	(-)	5,92,030/-
20.	भिवानी	94,70,066/83	82,12,163/-	(+)	12,57,903/83
21.	नूंह	21,39,851/-	26,12,520/-	(-)	4,72,669/-
22.	यमुनानगर	32,78,155/-	81,97,486/-	(-)	49,19,331/-

यह देखा गया है कि जिला रैड क्रॉस शाखाये घाटे में है इसलिए यह प्रस्तावित है कि संबंधित उपायुक्त–एवम–प्रधान शाखाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करें।

सूचना एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु

में महासचिव भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा, दो जिलों के उपायुक्त एवं प्रधान तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा से एक अधिकारी होगें जो तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगें।

2. माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा ने आदेष दिए कि हरियाणा राज्य रैडक्रास द्वारा रैडक्रास/सैंटजॉन एम्बूलैंस में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण तैयार किया जाए जो कार्य नहीं करते केवल वेतन ही लेते है, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुषासनात्मक कारवाई की जाए।

श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग हरियाणा ने सुझाव दिया कि यदि जिलों में रैडक्रास की खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल रैडक्रास की गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए किया जाए तो इससे जिला रैडक्रास शाखाओं की आय में वृद्धि होगी।

माननीय राज्यपाल ने सभी उपायुक्तों एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखाओं को निर्देष दिए कि जिले में रैडक्रास की खाली पड़ी जमीन को रैडक्रास द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों एवं परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करें तथा इन खाली पड़ी जमीनों पर विभिन्न परियोजनाएं चलाकर जिला रैडक्रास की वित्तिय स्थिति को सुधारने का काम करें।

श्री मुकुल कुमार,भा0प्र0से0 उपायुक्त–एवं–प्रधान जिला रैडक्रास शाखा यमुनानगर ने सदन को अवगत कराया कि जिला यमुनानगर में रैडक्रास के पास 6 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसपर सरकार द्वारा एक आडिटोरियम बनाया जाना है। इस जमीन पर प्रस्तावित आडिटोरियम के लिए उन्होने भारतीय रैडक्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा से अनुमति ले ली है।

सदन में विचार विमर्ष उपरान्त यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी जिला रैडक्रास शाखाएं रैडक्रास की खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल भारतीय रैडक्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा से अनुमति लेकर

कृ0पृ0उ0

		रैडक्रास एवं सैटजॉन की गतिविधियों/परियोजनाओं के उत्थान के लिए करेंगे और इन संस्थाओं की वित्तिय स्थिति को सुदृढ़ करेगें। **माननीय राज्यपाल हरियाणा ने निर्देष दिए कि तीन माह पश्चात इस विषय की भी समीक्षा की जाएगी।**
11	**<u>सेवा नियमो में संशोधन बारें</u>** यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 14-03-2019 को माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष को सेवा नियमो के संशोधन बारें प्रस्ताव भेजा गया था जिसमे से निम्न लिखित नियमों मे सषोधन करने के लिये माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष से दिनांक 24-07-2019 को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। स्वीकृत नियम निम्नलिखित है : क **<u>जिला रैड क्रास समितियो और सैंट जोन में चालक/सेवादार/चौकीदार/माली और सफाई कर्मचारी के पद के लिए आउटसोर्सिंग नियुक्तियों मे सेवा नियम बिन्दु नम्बर 10 (b) में संशोधन करने बारे।</u>** यह अनुमोदित किया गया है कि जिला रैडक्रास समितियो और सैंट जोन शाखाओ मे ड्राइवर, सेवादार, चौकीदार, माली, सफाई कर्मचारी के पद के चयन के लिये वर्तमान सेवा नियमो मे निर्धारित चयन समिति केवल नियमित पदों के लिए ही होगी न कि आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के लिए । आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के लिए सक्षम अधिकारी उपायुक्त–एवं–अध्यक्ष, जिला रेड क्रास/सैंट जोन होगा। आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के लिये महासचिव कार्यालय के माध्यम से अध्यक्ष, हरियाणा रैड क्रास राज्य शाखा से पूर्व स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी । ख **<u>सेवा नियम परिशिष्ट–बी अंक –7 जिला रैड क्रास शाखाओ और राज्य शाखा मे लिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिये योग्यता एकसमान नियम मे सषोधन होने बारें</u>** जिला रैड क्रास शाखाओं और सैंट जोन के सेवा नियमो मे लिपिक पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इसके समकक्ष रखी गई है। (परिशिष्ट–बी अंक –7) जबकि यह हरियाणा राज्य शाखा के मौजूदा सेवा	सदन ने सर्वसम्मति से पुष्टि की।

क्0पृ030

	नियमो मे लिपिक की शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 रखी गई है। इस बारें यह स्वीकृत किया गया है कि राज्य शाखा और जिला शाखाओं में क्लर्क के पद की योग्यता समान होनी चाहिए। इसलिए राज्य शाखाओ मे क्लर्क के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक की स्वीकृत की गई है । ग **<u>जिला प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती मे अनुभव मे छुट देने बारें ।</u>** यह प्रस्तुत किया गया है कि मौजूदा सेवा नियमों के अनुसार जिला प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये आवेदक का फर्स्ट एड और होम नर्सिंग (सैंट जोन एम्बुलेंस) के प्रशिक्षण मे तीन साल का अनुभव रखा गया है। जिसमे माननीये राज्यपाल एवम अध्यक्ष द्वारा छूट की स्वीकृत दे दी गई है। घ **<u>जिला रैड़ क्रास समितियो मे सेवादार से लिपिक पद की पदउन्नती के नियम मे संषोधन करने बारें</u>** राज्य मुख्यालय के मौजूदा सेवा नियमों में सेवादार मे लिपिक पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। इस लिये जिला रैड़ क्रास शाखाओं तथा राज्य मुख्यालय के सेवा नियमों के लिये स्वीकृत किया गया है कि सेवादार से लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिये वह सेवा नियमो मे लिपिक की निर्धारित योग्यता पूरी करेगें । ...पुष्टि हेतु	
12	**<u>वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 पंचायत निधि की स्थिति रिपोर्ट बारे ।</u>** पंजाब ग्रम पंचायत एक्ट 1952, सैक्शन 34 तथा संशोधित हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994ए सैक्शन 37(2) (a) के तहत माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष के पत्र क्रमाक नम्बर GA-86/8701-823 दिनांक 26.2.2019 को सभी उपायुक्तो को पत्र भेज कर निर्देश दिये गये थे की ग्राम पंचायत फण्ड मे से जिला रैडक्रास शाखाओ का फिट शुल्क जल्द से जल्द दिया जाए। दिनांक 20.1.2018 को इस कार्यालय की प्रबन्धक समिति के सभी उपायुक्त ने उपरोक्त फण्ड पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया था इसकी वर्ष 2017-2018 तथा 2018-2019 स्थिति रिपोर्ट निम्न प्रकार है।	सदन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्तावित किया कि जिला उपायुक्त पंचायत निधि फण्ड की राषि जिला रैडक्रास को दिलवाना सुनिष्चित करेंगे।

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष 2017-2018 मे पंचायत निधि की स्थिति	वर्ष 2018-2019 मे पंचायत निधि की स्थिति
1.	अंबाला	4,78,000-00	4,00,000-00
2.	भिवानी	7,00,000-00	8,00,000-00
3.	फरीदाबाद	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
4.	फतेहाबाद	14,90,000-00	13,80,000-00
5.	गुरुग्राम	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
6.	हिसार	शुल्क प्राप्त नही हुआ	3,19,000-00
7.	जींद	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
8.	झज्जर	75,000-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ
9.	करनाल	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
10.	कुरुक्षेत्र	15,000-00	18,90,000-00
11.	कैथल	1,50,000-00	1,00,000-00
12.	नारनौल	शुल्क प्राप्त नही हुआ	85,000-00
13.	पानीपत	शुल्क प्राप्त नही हुआ	51,50,000-00
14.	पंचकुला	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
15.	रोहतक	शुल्क प्राप्त नही हुआ	4,50,000-00
16.	रेवाड़ी	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
17.	सोनीपत	शुल्क प्राप्त नही हुआ	2,00,000-00
18.	सिरसा	35,64,999-00	24,61,965-00
19.	यमुनानगर	Not received	Not received
20.	मेवात	Not received	Not received
21.	पलवल	4,80,000-00	28,30,120-00
22.	चरखी दादरी	Not received	Not received

वर्ष 2017-2018 के दौरान पंचायत निधि फंड जिला रैड क्रास समिति फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, करनाल, नारनौल, पानीपत, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, मेवात और चरखी दादरी को प्राप्त नही हुआ ।

वर्ष 2018-2019 के दौरान पंचायत निधि फंड जिला रैड क्रास समिति फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, झज्जर, करनाल, पंचकुला, रेवाड़ी, यमुना नगर, मेवात और चरखी दादरी को प्राप्त नही हुआ ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

13

<u>हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना बारें</u>

यह प्रस्तुत किया जाता है कि हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना बारें मुख्य सचिव की अध्यक्षता और अन्य सदस्यों की सदस्यता मे स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था । जिसमे राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक नम्बर STR-1-2001 दिनांक 20-07-2001 के द्वारा हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली (HARIS) परियोजना की 23-10-2000 को शुरू की गई थी। इस पत्र मे हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना मे प्राप्त शुल्क के संदर्भ मे निम्न लिखित नियम बनाये गये थे जोकि निम्नलिखित है

1. एकत्रित किए गए सेवा शुल्क का 10% हिस्सा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा को परियोजना के रखरखाव और देखरेख के लिये दिया जाता है ।

श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग ने सदन को यह अवगत कराया गया कि इस विषय में उनकी वार्तालाप श्रीमति नवराज सन्धू, भा0प्र0से0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग हरियाणा से हो चुकी है। उन्होने आष्वस्त किया कि हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना का फण्ड अतिषीघ्र सभी जिला रैडक्रास शाखाओं को मिलना शुरु हो जाएगा।

2. एकत्रित किए गए सेवा शुल्क का 40% हिस्सा जिला रैड क्रास सोसाइटी के पास परियोजना मे परिश्रमिक के रूप में रहता है।
3. एकत्रित किए गए सेवा शुल्क का 50% हिस्सा आईटी सोसाइटी को दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और संचालन लागत को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

इस संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाशा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के पत्रा क्रमांक नम्बर 655-STR-5-2015 / 1896 दिनांक 19-02-2015 के द्वारा जिला रैड क्रास सोसाइटी का 40% हिस्सा देने बारे निंदेश भी किये गये थे ।

दिनांक 20.01.2018 को इस कार्यालय की प्रबंध समिति की बैठक माननीय राज्यपाल-एवं-अध्यक्ष, ने सभी उपायुक्त को तीन सप्ताह मे जिला रैड क्रास सोसाइटी का 40% हिस्सा देने तथा स्थिति रिपोर्ट देने बारे निंदेश भी दिये थे । परन्तु अभी तक जिला रैड क्रास सोसाइटी का 40% हिस्सा प्राप्त नही हुआ है इसकी वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 की स्थिति रिपोर्ट निम्न लिखित है :

Sr. No.	**District**	**HARIS share 2017-2018**	**HARIS share 2018-2019**
1.	अंबाला	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
2.	भिवानी	21,50,800-00	16,38,503-00
3.	फरीदाबाद	34,89,340-00	3,95,040-00
4.	फतेहाबाद	30,43,560-00	25,44,880-00
5.	गुरुग्राम	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
6.	हिसार	23,04,313-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ
7.	जींद	24,00,000-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ
8.	झज्जर	24,46,920-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ
9.	करनाल	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
10.	कुरुक्षेत्र	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
11.	कैथल	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
12.	नारनौल	शुल्क प्राप्त नही हुआ	शुल्क प्राप्त नही हुआ
13.	पानीपत	48,45,265-00	50,91,400-00
14.	पंचकुला	10,70,920-00	10,43,120-00
15.	रोहतक	37,50,624-00	15,27,680-00
16.	रेवाड़ी	20,88,800-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ
17.	सोनीपत	शुल्क प्राप्त नही हुआ	10,00,000-00
18.	सिरसा	37,50,260-00	44,03,308-00
19.	यमुनानगर	4,55,916-00	3,44,747-00
20.	मेवात	6,07,680-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ
21.	पलवल	53,64,978-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ
22.	चरखी दादरी	8,45,280-00	शुल्क प्राप्त नही हुआ

वर्ष 2017-2018 के दौरान हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना का फंड जिला रैड क्रास समिति अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, नारनौल और सोनीपत को प्राप्त नही हुआ ।

वर्ष 2018-2019 के दौरान हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना का फंड जिला रैड क्रास समिति अम्बाला, गुरुग्राम, हिसार, जींद, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, नारनौल, रेवाड़ी, मेवात, पलवल और चरखी दादरी को प्राप्त नही हुआ ।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

14	**प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने बारें ।** यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 20-1-2019 को भारतीय रैड क्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एजेंडा नंबर 15 के तहत हरियाणा की रैड़ क्रास समितियो में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रबंध समिति के कार्यवृत्त हरियाणा की सभी जिला रैडक्रास शाखाओं को सूचना और अनुपालन के लिये भेज दिये गये थे । प्रबंध समिति के कार्यवृत्त को अमल मे लाने के लिये कुछ जिला रैड क्रास शाखाओं ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र की योजना के तहत मेडिकल स्टोरों को खोला था। जिनमे यह देखा गया है कि इन जनऔषधि केंद्रो मे कर्मचारियों के भारी वेतन और बुनियादी ढांचे पर निवेश के कारण घाटे में चल रहे हैं। जिला शाखाओं की वर्ष 2018-2019 की वित्तीय स्थिति का भी आकलन किया गया है और पाया गया है कि अधिकांश जिला रैड क्रास शाखाएं घाटे में चल रही हैं। जिला रैड क्रास शाखाओं की आय का नियमित स्त्रोत उत्पन्न करने के लिए भारतीय रैड क्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा के द्वारा जिला रैड क्रास शाखाओं मे खाले जाने वाले जनऔषधि केंद्र का ओपन टेंडर किया गया। जिसमे दर्श शिक्षा और कल्याण समिति के टेंडर पास हुआ था जिसकी माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष ने दिनांक 12-07-2019 को स्वकृति प्रदान की । तदानुसार इस कार्यालय ने हरियाणा में प्रधानमन्त्री भारत जनऔषधि केंद्र खोलने के संबंध में दर्श शिक्षा और कल्याण समिति को कार्य आवंटित कर दिया गया । निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा / एमओयू की अवधि पांच वर्ष के लिए होगी। यह अवधि आदेश जारी करने की तिथि से मानी जाएगी । यह आवश्यक है कि निर्मित स्थान को जिला रैड क्रास शाखा द्वारा अस्पताल के अंदर या बाहर प्रदान किया जाएगा। ऐसी कोई भी निर्मित जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम 120 वर्ग मीटर जगह दी जायेगी जिस पर दर्श शिक्षा और कल्याण समिति के द्वारा निर्माण पर खर्चा किया जायेगा जमीन पर दर्श शिक्षा और कल्याण समिति कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा । निविदा अवधि समाप्त होने के बाद दर्श शिक्षा और कल्याण समिति के द्वारा निंमाण पर वहन की जाने वाली लागत का कोई दावा नहीं किया जाएगा। जेनेरिक दवाओं और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर दर्श शिक्षा और कल्याण समिति के द्वारा संबंधित जिला रैड क्रास शाखाओं को 7% का राजस्व हिस्सा दिया जाएगा । जिन जिला समितियो मे जेनेरिक मेडिकल स्टोर पहले से चल रहे है वो भी दर्श शिक्षा और कल्याण समिति को बुनियादी ढांचे समेत सौप दिये जायेंगे । बुनियादी ढांचे मे जो भी जिला समितियों का व्यय हुआ है वह आपसी	सदन ने सर्वसम्मति से पुष्टि की।

रजामन्दि से तय कर लिया जायेगा। इस बारे मे इस कार्यालय ने माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशो को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक नम्बर जनऔषधि प्रधानमंत्री भारतीय केंद्र/2019/2634-2655 दिनांक 23/7/2019 को एम०ओ०यू० के प्रारुप समेत सभी उपायुक्तो-एवम-प्रधान जिला रैड़ क्रास समितियो को लागू करने हेतू भेज दिया गया है ।

…पुष्टि हेतु

15 अनुपूरक कार्य-सूची

(i) अन्तोदय सहायता योजना लागू करने हेतू

यह प्रस्तुत किया गया है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में ‘‘अंत्योदय सहायता योजना‘‘ नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दरिद्र, निराक्षित, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले (Indigent/ destitute/ down and people) लोगो को रियायती मूल्य पर स्वस्थ, पौष्टिक और स्वास्थ्यकर भोजन (दोपहर का भोजन) प्रदान करना है। श्रम विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है । वर्तमान में 9 जिलों में 10 कैंटीन कार्यात्मक है जो की एक सेवा प्रदाता के द्वारा चलाई जा रही है । अब सेवा प्रदाता का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए ‘‘अंत्योदय सहायता योजना‘‘ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभाग धर्मार्थ संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों की मदद से इन कैंटीनों को चलाने की संभावनाओं की खोज करने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक आईएसएंडएच ने अधोहस्ताक्षरों के साथ एक बैठक की जहां योजना के मौजूदा तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।

जिसमें यह बताया गया कि यह स्कीम हरियाणा के सभी जिलों में चलाई जायेगी और वर्तमान में यह योजना 9 जिलों मे 10 कैन्टीन सोनीपत, गुरूग्राम, फरीदाबाद, करनाल, हिसार, भिवानी, यमुनानगर, पंचकूला और अम्बाला में चलाई जा रही है और यह भी बताया गया कि रोहतक और पानीपत में भी जल्द ही यह कैन्टीन कार्यरत होगीं । इसमें कैन्टीन चलाने के लिए कुछ सुविधाऐं सर्विस प्रोवाइडर को दी जायेगी और इन कैन्टीनों मे निम्नलिखित खाना तैयार किया जायेगा । जिसकी कीमत सर्विस प्रोवाइडर को 20/- दी जायेगी और खाना खरीदने वाले से 10/- लिये जायेगें और 10/- सरकार द्वारा अनुदान लिया जायेगा ।

Sr. No.	**Food Items**	**Weight**	**Calories (approx.)**
1.	Tawa Chapatti	160 gms. (4 Chapattis of 40 gram each	480
2.	Rice	150 gms.	200
3.	Fried dal	150 gms.	160
4.	Cooked seasonal vegetables	150 gms.	100
5.	Jiggery (Gur)	20 gms.	75
	Total	**630 gms.**	**1015**

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

1 यह कैन्टीन जिला स्तर पर रैडक्रास द्वारा चलाई जाये । जिसकी स्वीकृति हरियाणा स्टैट रैडक्रास की प्रबन्ध समिति द्वारा लेना जरूरी है ।

2 उपरोक्त खाने की कीमत उपभोक्ता से 10/- ली जायेगी और 10/- श्रम विभाग द्वारा तथा इसके सहयोगी वेलफेयर बोर्ड द्वारा की जायेगी ।

श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रषिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग ने सदन को इस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सदन द्वारा विचार विमर्ष उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

कृ0पृ0उ0

3 इसको चलाने हेतु श्रम विभाग तथा रैडक्रास के बीच एम0ओ0यू0 किया जायेगा ।

उपरोक्त निर्णयों के बारे में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उपरोक्त योजना को उपरोक्त निर्णय अनुसार सभी जिला मुख्यालय पर रैडक्रास द्वारा चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये । यदि स्वीकृत किया जाता है तो यह योजना माह सितम्बर 2019 से चलाने की अनुमति प्रदान करें । क्योकि सितम्बर माह में राज्य विधान सभा के चुनाव हेतु कोड ऑफ कन्डक्ट लगने की सम्भावना है । इसलिए इन कैन्टीनों को चलाने के लिए अस्थायी रूप से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर रखने की अनुमति प्रदान करें जो निर्धारित कीमत पर खाना प्रदान कर सकें । कोड ऑफ कन्डक्ट के हटने पर स्थायी रूप से टेन्डर के द्वारा स्थायी सर्विस प्रोवाइडर रख लिये जायेगें ।

सूचना एवम् स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

(ii) **<u>भारतीय रैडक्रास समिति, राष्ट्रीय मुख्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए नामांकन भेजने हेतू।</u>**

यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रैडक्रास समिति, राष्ट्रीय मुख्यालय हर वर्ष अपनी वार्षिक बैठक में भारत के सभी राज्यों से राष्ट्रीय पुरस्कार हेतू नामांकन मांगती है। इस वर्ष 2018–19 के लिए भारतीय रैडक्रास समिति नें अपने पत्र क्रमांक 16012/01/19/अवार्डस दिनांक 26.07.2019 द्वारा निम्न अवार्डस के लिए नामांकन मांगा है जैसेः

1. **<u>रैडक्रास गोल्ड मैडल</u>**: इसमें वही लोग योग्य होंगे जिनकी रैडक्रास में कम से कम 15 वर्ष की सेवा होगी।
2. **<u>रैडक्रास मेरिटसर्टिफिकेट</u>** : इसमें वही लोग योग्य होंगे जिनकी रैडक्रास में कम से कम 10 वर्ष की सेवा होगी।

तदानुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक न0. IRCS/H/NHQ/2019/Awards/2771–2792 दिंनाक 7.8.2019 के द्वारा भारतीय रैडकास समिति, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली की वार्षिक बैठक मे दिये जाने वाले अवार्ड के आवेदन सभी जिला रैडक्रास शाखाओं से मागें थे इस सन्दर्भ मे इस कार्यालय को जिला रैडक्रास शाखाओं से विभिन्न हेतू आवेदन प्राप्त हुए जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र0न0.	जिला	आवेदक का नाम	आवेदन श्रेणी
1.	फरीदाबाद	श्रीमति सुषमा गुप्ता, सैक्टर. 21 बी0, फरीदाबाद	मेरिट सर्टिफिकेट
2.	पंचकूला	श्री अनिल जोषी, सचिव, जिला रैडक्रास शाखा, पंचकूला	रैडक्रास स्वर्णपदक
3.	हिसार	श्री रविन्द्रकुमार, सचिव, जिला रैडक्रास शाखा, हिसार	रैडक्रास स्वर्णपदक
4.	रोहतक	श्री सुभाष गुप्ता, रोहतक	रैडक्रास स्वर्णपदक

सदन ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित सभी चार आवेदकों के नाम भारतीय रैडक्रास समिति, राष्ट्रीय मुख्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजने हेतू स्वीकृति प्रदान कीः–

1. श्री अनिल जोषी, सचिव जिला रैडक्रास शाखा पंचकूला– स्वर्ण पदक के लिए।
2. श्री रविन्द्र कुमार, सचिव जिला रैडक्रास शाखा हिसार– स्वर्ण पदक के लिए।
3. श्री सुभाष गुप्ता, रोहतक– स्वर्ण पदक।
4. श्रीमति सुषमा गुप्ता, सैक्टर 21 बी, फरीदाबाद– मैरिट सर्टिफिकेट।

	उपरोक्त आवेदन कार्यालय द्वारा बनाई गई मूल्यांकन कमेटी द्वारा इनको उपरोक्त श्रेणी के पुरस्कार/अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। इन आवेदकों को भारतीय रैडक्रास समिति, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजने से पहले भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत करवाना जरूरी है । अंतः यह प्रस्ताव दिया जाता है कि उपरोक्त नाम भारतीय रैडक्रास समिति, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली में भेजने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। स्वीकृति हेतु	

माननीय राज्यपाल ने रैडक्रास एवं सैटजॉन एम्बूलैंस के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य की प्रषंसा की तथा यह भी सुझाव दिया कि घाटे में चल रही जिला रैडक्रास शाखाओं के वित्तिय उत्थान के लिए सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

हस्ता/–
महासचिव

हस्ता/–
माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष
भारतीय रैडक्रास समिति
हरियाणा राज्य शाखा
चण्डीगढ